IJAER/Oct- Nov 2014/Volume-3/Issue-6 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

# विशेष संदर्भ में मानवाधिकारों की स्थिति का विश्लेषण

**डॉ गैब्रियल खान**

**व्याख्याता.राज. विज्ञान**

**राजकीय महाविद्यालय .अजमेर**

**सार**

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ था। आयोग का अधिदेश, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर, 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा दिसम्बर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। यह आयोग, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति भारत की चिंता का प्रतीक है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं।

**मुख शब्द:** मानवाधिकार, मावन अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

**परिचय**

मानव अधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं इन अधिकारों का उदभव मानव की अंतर्निहित गरिमा से हुआ है। विश्व निकाय ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार और उदघोषित किया। इस उदघोषणा में अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान जागृत करेगा और अधिकारों की विश्वव्यापी एवं प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के पश्चात मानव अधिकारों की अभिवृद्धि और पालन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक प्रसंविदा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सास्कृतिक अधिकार प्रसंविदा 1966 और अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार पर प्रसंविदा के वैकल्पिक प्रोटोकॉल को अंगीकार किया।

मानव अधिकारों के अतिक्रमण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपचारों के भी प्रावधान हैं। मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के मानकों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अतः शान्ति बनाए रखने, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ाने, आर्थिक व सामाजिक विकास में सहायता करने के लिए इन अधिकारों को महत्वपूर्ण बनाने पर दृढ़तापूर्वक कार्य करना आवश्यक है।

**मानव अधिकार के विभिन्न अर्थ**

मानव अधिकारों का शब्दकोशीय अर्थ है, दृढ़तापूर्वक रखे गये दावे, अथवा वे जो होने चाहिए, अथवा कभी–कभी उनको भी कहा जाता है जिनकी विधिक रूप से मान्यता है और उन्हें संरक्षित किया गया है जिनका प्रयोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए

व्यक्तित्व आध्यात्मिक, नैतिक और अन्य स्वतंत्रता का अधिक से अधिक पूर्ण और स्वंतंत्र विकास सुनिश्चित करने को है। मानव अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 1993 मानव अधिकार को निम्न प्रकार से परिभाषित करता है–

मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किये गए हों या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं

संक्षेप में, मानव अधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत बुनियादी माने गये हैं। ये अधिकार मानव शरीर में अंतर्निहित गरिमा और महत्व से निकाले गये हैं।

इन अधिकारों की मान्यता मानव मूल्यों को चरितार्थ करने के लिए मनुष्य के लंबे संघर्ष के बाद हुई है। मानव अधिकार का विचार अनेक विधिक प्रणालियों में पाया जा सकता है। प्राचीन भारतीय विधिक प्रणाली, जो विश्व की सबसे प्राचीन विधिक प्रणाली है, इन अधिकारों की संकल्पना नहीं थी, केवल कर्तव्यों को ही अधिकथित किया गया था। यहाँ के विधि शास्त्रियों की मान्यता थी कि यदि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने तो सभी के अधिकार संरक्षित रहेंगे। प्राचीन भारत के धर्मसूत्रों एवं धर्म्शास्त्रों की विशाल संख्या में लोगों के कर्तव्यों का ही उल्लेख है। धर्म एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ बहुत विस्तृत है किन्तु उसका एक अर्थ कर्तव्य भी है। इस प्रकार सारे धर्मशास्त्र धर्मसंहिताएँ हैं, अर्थात कर्तव्य संहिताएँ हैं। इसलिए मनुस्मृति को मनु की संहिता भी कहा गया है। मनुस्मृति के अध्यायों के शीर्षकों को देखने से ही ज्ञात हो जाएगा कि वे राजा को सम्मिलित करते हए समाज के विभिन वर्गों एवं व्यक्तियों के कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं।

**मावन अधिकारों की सार्वभौम घोषणा**

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की उद्देशिका में कहा गया है–

मानव परिवार के सभी सदस्यों को अंतनिर्हित गरिमा और समान तथा अभेद्य अधिकार विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय और शांन्ति के आधार है, मानव अधिकारों की अपेक्षा और अवमान के परिणामस्वरुप ऐसे बर्बर कार्य हुए हैं जिन्होंने मानव की की अंतरात्मा पर आघात किया है, ऐसे विश्व के निर्माण को जिसमें सभी मानव वाक– स्वातंत्रय और विश्वास की स्वतंत्रता का तथा भय और आभाव से मुक्ति का उपभोग करेंगे जनसामान्य की उच्चतम आकांक्षा घोषित किया गया है।

यदि मनुष्य को अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह का अवलंब लने के लिए विवश नहीं किया जाना है तो यह आवश्यक है कि मानव अधिकारों का संरक्षण विधिसम्मत शासन द्वारा किया जाना चाहिए।

यह कि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास की वृद्धि करना आवश्यक है, संयुक्त राष्ट्र ने लोगों के चार्टर में मूल मानव अधिकारों में मानव देह की गरिमा और महत्व तथा पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की है और सामाजिक प्रगति करने तथा अधिकाधिक स्वतंत्रता के साथ उत्कृष्ट जीवन स्तर की प्राप्ति कराने का निर्णय किया है, सदस्य राज्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानव अधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान जागृत करेंगे और उनका पालन कराएंगें

इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की प्रति एक ही दृष्टि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए, महासभा मानव अधिकारों की इस सार्वभौम घोषणा को सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सामान्य मानक के रूप में उदघोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग, इस घोषणा को निरंतर ध्यान में रखते हुए, शिक्षा और संस्कार द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान जागृत करेगा और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रगामी उपायों के द्वारा, सदस्य राज्यों के लोगों के बीच और उनकी अधिकारिता के अधीन राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच इन अधिकारों की विश्वव्यापी और प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा।

सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वंतंत्र और समान हैं उन्हें बुद्धि और अतंश्चेतना प्रदान की गयी है। उन्हें परस्पर भातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों और

स्वतंत्रताओं का हकदार है, इसमें मूल, वशं, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनितिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल सम्पत्ति, जन्म या अन्य प्रस्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसी देश यह राज्यक्षेत्र की चाहे वह स्वाधीन हो, न्याय के अधीन हो, अस्वशासी हो या सम्प्रभुता पर किसी सीमा के अधीन हो, राजनितिक, अधिकारिता–विषयक या अंतरराष्ट्रीय प्रास्थिति के आधार पर उस देश या राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति से कोई विभेद नहीं किय जाएगा।

घोषणा में उल्लिखित मानव अधिकार में संक्षेप में निम्नलिखित है

दासता या गुलामी में न रखे जाने का अधिकार यन्त्रणा, क्रूरता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या ऐसे दंड के विरुद्ध अधिकार सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार विधि के समक्ष समानता और किसी विभेद के बिना विधि के समान संरक्षण का अधिकार। संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार ।

**मनमाने ढंग से गिरफ्तार, निरुद्ध या निर्वासन के विरुद्ध अधिकार**

आपराधिक आरोप की अवधारणा मेंपूर्णतया समाना रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा ऋजु और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार। दांडिक अपराध का आरोप होने पर तबतक निरपराध माने जाने का अधिकाफ़ जबतक कि उसे लोक विचारण, जिसमें उसे अपने प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक सभी गारंटियां प्राप्त हों, विधि के अनुसार दोषी साबित नहीं कर दिया जाता। किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण, जो किये जाने के समय राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन दांडिक अपराध नहीं था, किसी दांडिक अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किये जाने का धिकार तथा उस शास्ति से अधिकशास्ति अधिरोपित नहीं किये जाने का अधिकार जो उस समय लागू थी जब किया गया था।

एकांतता, कुटुंब घर या पत्र–व्यवहार में मनमाना हस्तक्षेप के विरुद्ध अधिकार राज्य की सीमाओं के भीतर संचरण और निवास की स्वतन्त्रता का अधिकार, और अपने देश को या किसी देश को छोड़ने और अपने देश कें वापस आने का अधिकार। उत्पीड़न के कारण अन्य देशों में शरण मांगने और लेने का अधिकार राष्ट्रिकता का अधिकार वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को मूल, वंश, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना, विवाह करने और कुटुंब स्थापित करने अधिकार और विवाह के विषय में, विवाहित जीवन काल में और उसके विघटन का समान अधिकार।

अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सम्पत्ति का स्वामी बनने का अधिकार सम्पत्ति से मनमाने ढंग से वंचित न किये जाने अधिकार। विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अपने धर्म या विश्वास को परिवर्तित करने की स्वतन्त्रता और अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से या अकेले शिक्षा, व्यवहार, पूजा और पालन में अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने और देने की स्वतन्त्रता।

अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता। इस अधिकार के अंतर्गत हस्तक्षेप के बिना अभिमत रखने और किसी भी संचार माध्यम से और सीमाओं का विचार किये बिना जानकारी मांगने, प्राप्त करने और देने की स्वतन्त्रता।

**अपने देश की लोक सेवा में समान सुरक्षा का अधिकार**

कार्य करने का, नियोजन के स्वतंत्र चयन का, कार्य की न्यायोचित और अनुकूल दशाओं का और बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार । किसी विभेद के बिना, समान कार्य के लिए समाना वेतन का अधिकार, अपने हितों के सरंक्षण के लिए व्यवसाय संघ बनाने और उनमें सम्मिलित होने का अधिकार। विश्राम और अवकाश का अधिकार जिसके अतर्गत कार्य के घंटों की युक्तियुक्त सीमा और वेतन सहित आवधिक छुट्टियाँ का अधिकार है। ऐसे जीवन स्तर का अधिकार जो स्वयं और उसके कुटुंब के स्वस्थ और कल्याण के लिए पर्याप्त है। इसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, मकान और चिकित्सा तथा आवश्यक सामजिक सेवाएँ भी हैं और बेरोज गारी रुग्णता, अशक्कता, वैधव्य वृद्धावस्था यह उसके नियन्त्रण के बाहर परिस्थितियों में जीवनयापन के आभाव की दशा में सुरक्षा का अधिकार है। समुदाय के सास्कृतिक जीवन में मुक्त रूप से भाग लेने, कलाओं का आनन्द लेने

और वैज्ञानिक प्रगति और उसके फायदों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, और स्वनिर्मित वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक करती के परिणामस्वरुप होने वाले नैतिक और भौतिक हितों की संरक्षण का अधिकार। घोषणा को भारी महत्व की एक ऐतिहासिक घटना और संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि में रूप में प्रशंसित किया गया है। इसे एक ऐसी खान के रूप में माना गया है जिसमें से इन अधिकारों की सरक्षा करने वाले अन्य अभिसमय और साथ ही राष्ट्रीय निकाले हुए हैं और निकल रहे हैं।

## मानव अधिकारों पर अभिसमय और प्रसंविदाएं

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा 1966 और अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर प्रसंविदा का वैकल्पिक प्राटोकोल अंगीकार किए गये हैं। ये दस्तावेज मानव अधिकारों के मूल अधिकार हैं। वे मानव अधिकारों की अभिवृद्धि और पालन के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के बढ़े हुए कदम है। मानव अधिकारों को मते तौर पर समझने के लिए इन दस्तावेजों में दिए गये मानव अधिकारों का संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक है।

## उद्देशय

1ण विशेष संदर्भ में मानवाधिकारों की स्थिति का विश्लेषण का अध्ययन
2ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार का अध्ययन

## अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा

अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा की उद्देशिक में निम्नलिखित कथन किया गया अहि, जो प्रसंविदा के उद्देश्य को बताता है–

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य, यह विचार करके की संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उदघोषित सिंद्धांतों के अनुसार मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतनिर्हित गरिमा और समान तथा अन्य अभेद्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय और शान्ति का आधार है, यह मानकर कि ये अधिकार मानव देह की अंतनिर्हित गरिमा से व्युत्पन्न है, यह मानकर कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार, निर्भीक और स्वतंत्र मानव का आर्दश केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएँ जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सिविल और राजनैतिक अधिकारों तथा अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उपभोग कर सकें, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान और उनके पालन कराने की राज्यों की बाध्यता का विचार करके, यह अनुभव करके कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के प्रति और अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य हैं और इस प्रसंविदा में मान्यता दिए गये अधिकारों की अनुवृद्धि और पालन के लिए प्रयास करना उसका उत्तरदायित्व है, सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा संक्षेप में राज्यों पर निम्नलिखित बाध्यता डालती है–

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य इस प्रसंविदा में उपवर्णित सभी सिविल और राजनितिक अधिकारों का उपभोग करने के पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकार को सुनिश्चित करने का विचार देते हैं। लोक आपात में जिसमें राष्ट्र के जीवन को खतरा है और जिसकी विद्यमानता की शासकीय रूप से उदघोषणा की गयी है,इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य स्थिति की अत्यावश्यकता द्वारा पूर्णतः अपेक्षित सीमा तक इस प्रसंविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं के अल्पीकरण में उपाय कर सकेंगे, परन्तु ऐसे उपाय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन उनकी अन्य बाध्यताओं से असंगत नहीं होंगे और उनमें केवल मूल, वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म या सामजिक उदगम के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।

इस प्रसंविदा के पक्षकार किसी राज्य में विधि, परंपरा विनियम या रूढ़ि के अनुसरण में मान्यतादिए गये या विद्यमान मूल मानव अधिकारों को, इस आधार पर कियह प्रसंविदा ऐसे अधिकारों को मान्यता नहीं देती है यह उन्हें कम सीमा तक मान्यता देती है, निर्बिधित या अल्पीकृत नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता और शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। कसी

को भी मनमाने रूप से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या मनमाने रूप से निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। किसी व्यक्ति को उसकी स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित आधारों पर और प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारणों से अवगत जाएगा और उसे उसके विरुद्ध आरोपों की तत्परता से सूचना दी जाएगी।

ऐसे व्यक्ति को जिसे दांडिक आरोप पर गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध रखा गया है तत्परता से किसी न्यायाधीश के समक्ष या विधि द्वारा न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष लाया जाएगा और वह युक्तियुक्त समय के भीतर विचारण किए जाने या उन्मोचित किये जाने का हकदार होगा। ऐसा साधारण नियम नहीं होगा किविचारण की प्रतीक्षा करते हुए व्यक्तयों को अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए, किन्तु उनकी उन्मुक्ति विचारण के लिए न्यायिक कार्यवाहियों के किसी अन्य प्रकार पर और यदि अवसर आए तो निर्णय के निष्पादन के लिए उपस्थित होने की गारंटी के अधीन की जा सकेगी। ऐसे व्यक्ति को जो विधि विरुद्ध निरुद्ध या गिरफ्तार किया गया है, प्रतिकार का प्रवर्तनीय अधिकार होगा। सभी व्यक्तियों के साथ मानवीय और मानव देह की अंतनिर्हित गरिमा के लिए ससम्मानजनक व्यवहार किया जाएंगा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी राज्य के राज्यक्षेत्र में विधिपूर्ण रूप से हैं उस राज्य क्षेत्र के भीतर संचरण की और अपने आवास का चयन करने की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा।

प्रत्येक व्यक्ति किसी भी देश को, जिसके अंतर्गत स्वदेश भी, छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। किसी व्यक्ति को अपने देश में प्रवेश करने के अधिकार से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति न्यायालयों और अधिकरणों के समक्ष समान होंगे, प्रत्येक व्यक्ति, अपने विरुद्ध किसी दांडिक आरोप के अवधारणा में या विधि में किसी वाद में अपने अधिकारों और बाध्यताओं के अवधारणा में, विधि द्वारा स्थापित किसी सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा ऋजु और सार्वजनिक सुनवाई का हकदार होगा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दांडिक अपराध का आरोप है, यह अधिकार होगा कि उसे तबतक निरपराध माना जाएगा जबतक कि उसे विधि के अनुसार दोषी साबित नहीं कर दिया जाता।

किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण जो किये जाने के समय राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन दांडिक अपराध नहीं था, किसी दांडिक अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा। न ही उस अधिक शास्ति उस पर अधिरोपित की जाएगी जो उस समय अधिरोपित की जाती जब दांडिक अपराध किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति की एकान्तता, कुटुंब, घर या पत्र–व्यवहार के साथ मनमान या विधि विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और उसके सम्मान और ख्याति पर विधि विरुद्ध आघात नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, अन्तःकरण और धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार के अंतर्गत अपनी रूचि या धर्म या विश्वास मानने या अपनाने की स्वतन्त्रता और अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से या एकांत में उपासना, परिपालन, व्यवहार और उपदेश से अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतन्त्रता भी है।

प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा, इस अधिकार के अंतर्गत, सीमाओं का ध्यान किए बिना, मौखिक, लिखित या मुद्रित रूप में, कला के रूप में या अपनी रूचि के किसी अन्य संचार माध्यम से सभी प्रकार के सूचना और विचारों की खोज करने, प्राप्त करने और प्रदान की स्वतन्त्रता भी है। शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकार को मान्यता दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ संगम की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा, जिसके अंतर्गत उसके हितों के संरक्षण के लिए व्यवसाय संघ बनाने और उनमें सम्मिलित होने का अधिकार भी है। विवाह योग्य आयु के पुरुषों और स्त्रियों के विवाह करने और कुटुंब बनाने के अधिकार को मान्यता की जाएगी।

सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, और, किसी विभेद के बिना विधि के समान संरक्षण के हकदार हो, इस संबंध में, विधि द्वारा प्रत्येक विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा और मूल, वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार राष्ट्रीय या सामजिक मूल, सम्पत्ति , जन्म या अन्य प्रास्थिति जैसे किसी आधार पर विभेद के विरुद्ध सभी व्यक्तियों को समान और प्रभावी संरक्षण की गारंटी दी जाएगी। प्रसंविदा द्वारा मानव अधिकार समिति गठित करने का प्रावधान किया गया। प्रसंविदा में दिए गये मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत पर यह समिति जाँच कराती है और अपनी रिपोट देती है।

## अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा

अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा की उद्देशिक में निम्नलिखित कथन किया गया है, जो प्रसंविदा के उद्देश्य को बताता है–

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य , यह विचार करके की संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उदघोषित सिंद्धांतों के अनुसार मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतनिर्हित गरिमा और समान तथा अन्य अभेद्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय और शान्ति का आधार है, यह मानकर कि ये अधिकार मानव देह की अंतनिर्हित गरिमा से व्युत्पन्न है,

यह मानकर कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार, निर्भीक और स्वतंत्र मानव का आर्दश केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएँ जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सिविल और राजनैतिक अधिकारों तथा अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उपभोग कर सकें,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान और उनके पालन कराने की राज्यों की बाध्यता का विचार करके, यह अनुभव करके कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के प्रति और अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य हैं अरु इस प्रसंविदा में मान्यता दिए गये अधिकारों की अनुवृद्धि और पालन के लिए प्रयास करने की उत्तरदायित्व है, प्रसंविदा में राज्यों पर निम्नलिखित बाध्यताएं डाली गयी है कम करने का अधिकार को मान्यता। प्रत्येक व्यक्ति को काम की न्यायोचित और अनुकूल दशाओं के अधिकार की मान्यता।

प्रत्येक व्यक्ति का, अपने आर्थिक और सामाजिक हितों की प्रोन्नति और संरक्षण के लिए व्यवसाय संघ बनाने और अपनी इच्छानुसार व्यवसाय संघ में स्मीलित होने का अधिकार, जो केवल संबधित संगठनों के नियमों के अधीन होगा। इस अधिकार के प्रयोग पर विधि द्वारा विहित निर्बधनों से भिन्न कोई निर्बधन नहीं लगाए जा सकेंगे जो प्रजातंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतन्त्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को जिसके अंतर्गत सामाजिक बीमा भी है, मान्यता देते हैं। कुटुंब को, जो समाज की नैसर्गिक और प्राथमिक इकाई है, यथासंभव व्यापक संरक्षण और सहायता, विवाह के इच्छुक पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से ही विवाह।

प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए, पर्याप्त जीवन स्तर के, जिसके अंतर्गत पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास है और जीवन की दशाओं के निरतंर सुधार के अधिकार को मान्यता। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम प्राप्त स्तर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आनन्द ले। प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षा के अधिकार को मान्यता।

प्रत्येक व्यक्ति के, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, वैज्ञानिक प्रगति और उसके उपयोजन के फायदों का उपभोग करने, किसी ऐसे वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलाकृति के, जिसका वह रचयिता है, परिणामस्वरुप होने वाले नैतिक और मौलिक हितों के सरंक्षण से फायदा उठाने के अधिकार को मान्यता देने, प्रसंविदा में राज्यों पर भी यह बाध्यता डाली गई है कि वे प्रसंविदा के अनुसरण के लिए किये गए कार्यों की रिपोर्ट दें।

## उपसंहार

परम्परागत अंतर्राष्ट्रीय विधि को एक ऐसी विधि के रूप में माना जाता था जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों को विनियमित करती थी। अतः विधि केवल राज्यों के क्रियाकलापों से संबंधित थी। यह मत इस अभिधारणा पर आधारित था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का सृजन राज्यों के द्वारा किया जाता है और उसके द्वारा बनाये गये नियम उन्हीं पर विधि मान्य है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा अधिकतर अधिकार व कर्त्तव्य राज्यों के लिए ही बनाये गये थे। राष्ट्र ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय थे। व्यक्तियों के माध्यम से केवल राज्यों से संबंधित रहते थे और यदि वे दूसरे राज्यों में जाते थे तो वे अन्य देशीय की भूमिका में राज्यों से संबंधित रहते थे।

## संदर्भ

1. फॉरसेथ, क्रिस्टोफरा : ह्यूमन राइट्स इन इण्डियाः हिस्टोरिकल, सोशल एण्ड पॉलिटिकल प्रस्पेक्टिव, केन्ब्रीज ला जर्नल, 2002
2. मिश्रा, ज्योत्सना : वीमेन एण्ड ह्यूमन राइट्स, कल्पज प्रकाशन, दिल्ली, 2000
3. गहलोत एन.एस.: भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाः दशा व दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2004
4. गोपालकृष्णनन्, बी. : राईट्स ऑफ चिन्ड्रन, पोइन्टर, पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
5. गुप्ता, मदान, मार्डन गॅवर्नमेंट्सः दि थ्यौरी एण्ड प्रेक्टिस, सेक. एण्ड रिवाईज्ड एडीसन, इलाहाबाद सेन्ट्रल बुक डिपो, 1967, रिप्रिन्ट, 1969.
6. हरीशचन्द्र शर्मा : भारत में राज्यों की राजनीति, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1973 जयप्रकाश शर्माः भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2000
7. जीन सेन, अम ृतया, इण्डियाः इकॉना मिक डवलपमेंट एण्ड सोशल अपोर्च्युनिटी, ओ. यू. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1996,
8. जीन जैक्स कसो : सोशल कॉन्ट्रेक्ट, राष्ट्रपति सनबेल्ट : अमेरिका कांग्रेस की सम्बोधन, 1941
9. जाखड दिलीप : मानवाधिकार और पुलिस संगठन, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, 2008
10. कृपलानी, श्यामा : वूमेनः कॉनफिलैक्ट फॅार वेसिक राइट्स, आर.बी., एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2005
11. कमलेश भारद्वाज : प्राचीन भारत में समाज एवं राज्य, पोइन्टर, जयपुर, 1999
12. कौशिक, आशा : नारी, सशक्तिकरणः विमर्श एवं यथाथ , पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004